न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर R-3291/II/2015

मुन्नीबाई पत्नी श्री खिलान सौर, निवासी ग्राम मोहारी, थाना बीला, तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) -- आवेदिका

विरूद्ध

1. श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री बन्दन यादव, निवासी ग्राम मारौतखेडा (बमनौरा), तहसील धुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. जुग्गा पुत्र श्री मंगला सोर,
3. हल्काई पुत्र श्री हीरालाल यादव,
4. काशीराम पुत्र श्री भोदू यादव,
   समस्त निवासीगण ग्राम बमनौरा, तहसील धुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 119/अ–21 /2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2014 को विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है कि –

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम बमनौरा, तहसील धुवारा, जिला छतरपुर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 3622/1 रकवा 1.000 हैक्टेयर भूमि शासकीय की थी जो वर्ष 1974–75 में अनावेदक क्रमांक 2 जुग्गा सौर को पट्टे पर दी गयी थी। यह भूमि जुग्गा सौर के निवास, स्थान देवपुर से 2 कि.मी. की दूरी पर थी, ऐसी स्थिति में वह भूमि पर फसल का लाभ नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने उपरोक्त भूमि विक्रय अनुबंध कर विक्रय की अनुमति के लिए कलेक्टर न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इसी भूमि को अनावेदक क्रमांक 3 व

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3291-दो/2015 जिला सागर मुन्नीबाई विरूद्ध गुड्डी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 119/अ-21/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 13-08-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-10-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य	